भारत संघ एवं अन्य

बनाम

मैसर्स मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी

(2011 की सिविल अपील संख्या 3541)

25 अप्रैल, 2011

[आफ़ताब आलम और आर.एम. लोधा, जे.जे.]

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम , 1996:

धारा 11(6) द्वारा 'नो- क्लेम सर्टिफिकेट' जमा करने और अंतिम बिल के भुगतान की रसीद के बाद मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन - नियुक्त मध्यस्थ - निर्णीत: जहां दावेदार द्वारा डिस्चार्ज वाउचर या नो-क्लेम प्रमाणपत्र या समझौता करार की वैधता के संबंध में विवाद उठाया गया है, प्रथम दृष्टया, विश्वसनीयता की कमी प्रतीत होता है, विवाद को माध्यस्थम के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं होगी - किसी पार्टी जो तर्क देता है कि विवाद अनुबंध के निर्वहन के कारण माध्यस्थम योग्य नहीं है पर माध्यस्थम की भारी लागत का बोझ डालना केवल इसलिए कि दावेदार द्वारा धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की दलील दी गई है, उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि केवल दलील पर्याप्त नहीं है और दावेदार

को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सामग्री रखकर प्रथम दृष्टया इसे स्थापित करना होगा। - वर्तमान मामले में, ठेकेदार का आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसके द्वारा 'नो क्लेम सर्टिफिकेट' स्वेच्छा से दिया गया था और उसने अंतिम बिल की राशि स्वेच्छा से स्वीकार कर ली और अनुबंध स्वेच्छा से समाप्त कर दिया गया - धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द कर दिया गया है।

प्रतिवादी- ठेकेदार ने 31.8.1998 को अनुबंध पूरा किया। पूर्णता प्रमाणपत्र 9.9.1999 को जारी किया गया था। इसके बाद ठेकेदार ने 3-4-2000, 28-4-2000 और 4-5-2000 को 'नो क्लेम सर्टिफिकेट' प्रस्तुत किया, 4-5-2000 को अंतिम बिल पर हस्ताक्षर किए और इसके तहत 19.6.2000 को एक अंतिम बिल का भुगतान प्राप्त किया। हालाँकि, 12.7.2000 को बैंक गारंटी जारी होने के तुरंत बाद, उसी दिन ठेकेदार ने अपीलकर्ता- नियोक्ताओं को 'नो क्लेम सर्टिफिकेट' वापस लेने के लिए लिखा और कुछ दावे भी दर्ज किए। मुख्य अभियंता ने दावों पर विचार करने से इनकार कर दिया। ठेकेदार ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष माध्यस्थम और सुलह अधिनियम , 1996 की धारा 11 के तहत एक आवेदन किया। आवेदन खारिज कर दिया गया. ठेकेदार की रिट याचिका भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। ठेकेदार की एस.एल.पी. का निपटारा सुप्रीम

कोर्ट ने इस निर्देश के साथ कर दिया कि आवेदन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश ने धारा 11(6) के तहत आवेदन पर निर्णय लेते हुए कहा कि अनुबंध के पक्षों के बीच सभी विवाद माध्यस्थम के लिए भेजे जायेंगे और मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। पीडित नियोक्ताओं ने अपील दायर की।

नियोक्ताओं द्वारा दायर की गई तत्काल अपील में, न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह था: क्या 'नो- क्लेम सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करने और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल के भुगतान की रसीद के बाद, पार्टियों के बीच कोई मध्यस्थता विवाद बच गया या अनुबंध समाप्त हो गया।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया :-

1.1 पूर्ण प्रकार का कोई नियम नहीं है। ऐसे मामले में जहां दावेदार का तर्क है कि डिस्चार्ज वाउचर या नो- क्लेम प्रमाणपत्र धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया है और दूसरा पक्ष इसकी सत्यता का विरोध करता है, मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित को इस पहलू पर गौर करना चाहिए जिससे की कम से कम, प्रथम दृष्टया, यह पता चल जाए कि विवाद प्रामाणिक और वास्तविक है या नहीं। जहां दावेदार द्वारा डिस्चार्ज वाउचर या नो- क्लेम सर्टिफिकेट या सेटलमेंट एग्रीमेंट की वैधता के संबंध में उठाया गया विवाद प्रथम दृष्टया विश्वसनीयता में कमी

होने के कारण का प्रतीत होता है, विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता ही नहीं हो सकती है। [पैरा 24] [866-डी-एफ]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड 2008 (13) एससीआर 638 (2009) 1 एससीसी 267; द यूनियन ऑफ इंडिया बनाम किशोरीलाल गुप्ता एंड ब्रोदर्स लिमिटेड एआईआर (1959) एससी 1362; नैहाटी जूट मिल्स लिमिटेड बनाम ख्यालीराम जगन्नाथ एआईआर (1968) एससी 522; दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाम के.के. कर 1974 (2) एससीआर 240 (1974) 1 एससीसी 141; मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपुर बनाम मैसर्स अमर नाथ भान प्रकाश (1982) 1 एससीसी 625; भारत संघ एवं अन्य. बनाम मैसर्स एल.के. आहूजा एंड कंपनी 1988 (3) एससीआर 402 = (1988) 3 एससीसी 76; महाराष्ट्र राज्य बनाम नव भारत बिल्डर्स 1994 सप्लीमेंट (3) एससीसी 83; मैसर्स पी.के. रमैया एंड कंपनी बनाम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1994 सप्लीमेंट (3) एससीसी 126; नैथानी स्टील्स लिमिटेड बनाम एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शन, 1995 सप्लिमेंट (3) एससीसी 324; इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम इंडो स्विस सिंथेटिक्स जेम एमएफजी कंपनी लिमिटेड और अन्य। 1995 (5) पूरक एससीआर 189 (1996) 1 एससीसी 54; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बनाम अजमेर सिंह कॉटन एंड जनरल मिल्स एंड अन्य, 1999

(1) पूरक एससीआर 385 = (1999) 6 एससीसी 400; जयेश इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2000) 10 एससीसी 178; एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य। 2005 (4) पूरक एससीआर 688 (2005) 8 एससीसी 618; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम निफा एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड 2006 (6) पूरक एससीआर 719 = (2006) 8 एससीसी 156; और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सेहटिया शूज़ 2008 (3) एससीआर 451 (2008) 5 एससीसी 400 - एफ संदर्भित।

अध्यक्ष एवं एम.डी., एनटीपीसी लिमिटेड बनाम रेशमी कंस्ट्रक्शन, बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स 2004 (1) एससीआर 62 (2004) 2 एससीसी 663 और अंबिका कंस्ट्रक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2006 (9) जी पूरक एससीआर 188 (2006) 13 एससीसी 475 - उद्धृत।

1.2 इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि माध्यस्थम की लागत काफी विशाल है। उस पक्ष जो यह तर्क देता है कि अनुबंध का निर्वहन हो जाने के कारण विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं है पर माध्यस्थम की भारी लागत का बोझ केवल इसलिए डालना क्योंकि दावेदार द्वारा धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की दलील दी गई है, उचित नहीं होगा। केवल धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की एक खाली दलील पर्याप्त नहीं है और जो पक्ष ऐसी याचिका दायर करता है उसे

प्रथम दृष्टया मुख्य न्यायाधीश/ उसके नामित न्यायाधीश के समक्ष सामग्री रखकर इसे स्थापित करना होगा। यदि मुख्य न्यायाधीश/ उनके मनोनीत न्यायाधीश को धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव के आरोप में कुछ योग्यता मिलती है, तो वह उस पर निर्णय ले सकते हैं या इसे माध्यस्थम अधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरी ओर, यदि ऐसी दलील बाद में सोची गई, काल्पनिक या विश्वसनीयता की कमी वाली पाई जाती है, तो मामले को वहीं शांत कर देना चाहिए। [पैरा 24] [866- जी- एच; 867- ए- बी]

1.3 वर्तमान मामले में, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में कोई संदेह नहीं है कि भुगतान प्राप्त होने पर, अनुबंध के तहत ठेकेदार के दावे का पूर्ण और अंतिम निपटान हो गया है। यह विवाद में नहीं है कि अंतिम बिल का भुगतान ठेकेदार को 19 जून 2000 को किया गया था। 19 जून 2000 को भुगतान प्राप्त होने के बाद, ठेकेदार द्वारा तुरंत कोई शिकायत नहीं की गई या दर्ज नहीं की गई। इसके बाद संबंधित प्राधिकारी ने 12 जुलाई, 2000 को 21,00,000/- रुपये की बैंक गारंटी जारी कर दी। तभी उसी दिन, ठेकेदार ने आगे के दावे दायर किए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के मामले में उल्लिखित अपवाद की श्रेणी में आता है, जहां तक वित्तीय दबाव या जबरदस्ती की बात है, इस तरह का कुछ भी प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं हुआ है। केवल यह आरोप कि वित्तीय

दबाव और जबरदस्ती के तहत नो-क्लेम प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है, बिना किसी सुझाव के, एक माध्यस्थम विवाद का कारण नहीं बनता है। [पैरा 28-29] [868-ए-डी]

1.4 ठेकेदार के आचरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 'नो क्लेम सर्टिफिकेट' उसके द्वारा स्वेच्छा से दिया गया था, ठेकेदार ने स्वेच्छा से राशि स्वीकार कर ली और अनुबंध स्वेच्छा से निर्वहित कर दिया गया। इस प्रकार, 1996 अधिनियम की धारा 11(6) के तहत कार्यवाही में मुख्य न्यायाधीश का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाता है। [पैरा 30 से 32] [868-ई-एच]

केस कानून संदर्भ :

2008 (13) एससीआर 638	भरोसा किया गया	पैरा 16
2004 (1) एससीआर 62	उद्धृत से	पैरा 16
2006 (9) पूरक एससीआर 188	उद्धृत से	पैरा 16
एआईआर (1959) एससी 1362	भरोसा किया	पैरा 19
1974 (2) एससीआर 240	भरोसा किया	पैरा 19
(1982) 1 एससीसी 625	भरोसा किया	पैरा 19
1988 (3) एससीआर 402	भरोसा किया	पैरा 19

1994 पूरक (3) एससीसी 83	भरोसा किया	पैरा 19
1994 पूरक (3) एससीसी 126	भरोसा किया	पैरा 19
1995 पूरक (3) एससीसी 324	भरोसा किया	पैरा 19
1995 (5) पूरक एससीआर 189	भरोसा किया	पैरा 19
1999 (1) पूरक एससीआर 385	भरोसा किया	पैरा 19
(2000) 10 एससीसी 178	भरोसा किया	पैरा 19
2005 (4) पूरक एससीआर 688	भरोसा किया	पैरा 19
2006 (6) पूरक एससीआर 719	भरोसा किया	पैरा 19
2008 (3) एससीआर 451	भरोसा किया	पैरा 19

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3541/2011।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ की एक अदालत के 2006 के माध्यस्थम मामले संख्या 87 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.12.2006 से।

ब्रिजेन्दर चाहर, निशान्त पटेल, सी.एस. खान, शम्सशुद्दीन खान (D.S. Mahra) अपीलार्थी के लिए।

उत्तरदाताओं के लिए इंदु मल्होत्रा, ज्योति मेंदीरत्ता, प्रेमा प्रियदर्शनी।

न्यायालय का निर्णय **आर.एम. लोढ़ा, जे द्वारा** सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, 1966 अधिनियम) की धारा 11(6) के तहत कार्यवाही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित 8 दिसंबर, 2006 के आदेश से उत्पन्न हुई है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, 1996 अधिनियम) की धारा 11(6) जिसके तहत उन्होंने माना कि अनुबंध के पक्षों के बीच सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री एम.एस. लिब्राहन को पार्टियों के बीच विवादों का फैसला करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

3. प्रतिवादी मैसर्स मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी (संक्षेप में, 'ठेकेदार') को पहले अपीलकर्ता भारत संघ द्वारा 17 सितंबर, 1995 को एक अनुबंध (सीए नंबर सीईबीटीजेड 14/95-96) इस काम के लिए प्रदान किया गया था कि भटिंडा में 'ओटीएम - आवास और कुछ आवश्यक तकनीकी भवनों का प्रावधान' बनाया और स्थापित किया जाएगा। काम का पहला चरण 20 जुलाई 1996 और दूसरा चरण 20 जनवरी 1997 तक पूरा होना था।

4. पार्टियों के बीच समझौते ने आईएएफडब्ल्यू--2249 को अनुबंध का अभिन्न अंग बना दिया। इसकी शर्त 70 में मध्यस्थता के माध्यम से पार्टियों के बीच विवादों और मतभेदों के समाधान का तरीका प्रदान किया गया।

5. कहा जाता है कि ठेकेदार ने देर से ही सही, 31 अगस्त 1998 को काम पूरा कर लिया था। पूर्णता प्रमाणपत्र 9 सितंबर 1999 को जारी किया गया था।

6. ठेकेदार ने 3 अप्रैल, 2000, 28 अप्रैल, 2000 और 4 मई, 2000 को नो क्लेम प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया और अंतिम बिल पर 4 मई, 2000 को हस्ताक्षर किए गए।

7. अंतिम बिल का भुगतान ठेकेदार को 19 जून 2000 को जारी किया गया। इसके बाद, बैंक गारंटी राशि रु 21,00,000/- भी था 12 जुलाई 2000 को जारी किया गया। बैंक गारंटी जारी होने के तुरंत बाद, उसी दिन, यानी 12 जुलाई 2000 को, ठेकेदार ने अपीलकर्ताओं को 'नो-क्लेम सर्टिफिकेट' वापस लेने के लिए लिखा; इसने कुछ दावे भी दर्ज किये।

8. मुख्य अभियंता, भटिंडा जोन, भटिंडा (यहां अपीलकर्ता संख्या 3) ने 13 जुलाई 2000 के अपने पत्र के माध्यम से ठेकेदार के दावों पर

विचार करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि 'नो-क्लेम सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करने के बाद ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल स्वीकार कर लिया गया है और अनुबंध के तहत कोई दावा नहीं रहा।

9. ठेकेदार ने अपने पत्र दिनांक 10 सितंबर, 2000 के माध्यम से इंजीनियर-इन-चीफ, सेना मुख्यालय, कश्मीर हाउस, नई दिल्ली (अपीलकर्ता संख्या 2) से पार्टियों के बीच विवादों को मध्यस्थ के पास समाधान के लिए भेजने का अनुरोध किया। ठेकेदार ने उस पत्र में कहा कि यदि अनुरोध की तारीख से 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया, तो उसे कानून के तहत उपलब्ध उपाय खोजने के लिए विवश होना पड़ेगा।

10. चूंकि 10 सितंबर, 2000 के पत्र में किए गए अनुरोध के बावजूद अपीलकर्ताओं द्वारा कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया था, ठेकेदार ने 10 जनवरी 2001. को सिविल जज, (सीनियर डिवीजन), भटिंडा के समक्ष 1996 अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन किया। आवेदन, प्रतिवाद के बाद, 6 जनवरी, 2003 को सिविल जज, सीनियर डिवीजन, भटिंडा द्वारा खारिज कर दिया गया।

11. दिनांक 6 जनवरी 2003 के आदेश से संतुष्ट न होकर ठेकेदार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके उस आदेश को चुनौती दी।

12. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पक्षों को सुना और 20 मई 2004 के अपने आदेश से ठेकेदार की रिट याचिका खारिज कर दी।

13. ठेकेदार ने इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। इस न्यायालय ने 3 जनवरी, 2006 को विशेष अनुमति याचिका का निपटारा यह निर्देश देकर किया कि 1996 अधिनियम की धारा 11 के तहत ठेकेदार द्वारा दायर आवेदन को उचित आदेश के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय और निचली अदालत के आदेशों को रद्द कर दिया।

14. तब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 1996 अधिनियम की धारा 11(6) के तहत ठेकेदार द्वारा दायर आवेदन पर फैसला किया और वर्तमान अपील में लगाए गए आदेश को पारित किया।

15. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बृजेन्द्र चाहर ने दो चरण में प्रस्तुत किया: (i) पार्टियों के बीच कोई माध्यस्थम विवाद मौजूद नहीं था क्योंकि ठेकेदार द्वारा 'नो-क्लेम सर्टिफिकेट' और अंतिम बिल जमा करने के बाद स्वेच्छा से पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्त किया गया था और (ii) कि, किसी भी मामले में, मुख्य न्यायाधीश को धारा 11 (6) के तहत

अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए माध्यस्थम खंड को उचित सम्मान देना चाहिए था और उसके संदर्भ में मध्यस्थ नियुक्त करना चाहिए था।

16. सुश्री इंदु मल्होत्रा, ठेकेदार के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील दूसरी ओर जोरदार ढंग से तर्क दिया कि ठेकेदार का पूरा मामला शुरू से ही यह था कि ठेकेदार द्वारा 'नो-क्लेम सर्टिफिकेट' वित्तीय दबाव और जबरदस्ती के तहत दिया गया था क्योंकि अपीलकर्ताओं ने मनमाने ढंग से भुगतान रोक दिया था। वह प्रस्तुत करेगी कि यह मुद्दा कि क्या 'नो-क्लेम सर्टिफिकेट' स्वेच्छा से या वित्तीय दबाव के तहत दिया गया था, एक ऐसा मुद्दा है जिसे अकेले मध्यस्थ द्वारा तय किया जाना चाहिए और यही कारण है कि धारा 11 (6) के तहत कार्यवाही में मुख्य न्यायाधीश ने पार्टियों के बीच विवादों को मध्यस्थ के पास भेज दिया है। इस संबंध में, उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोधारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड, (2009) 1 एससीसी 267 के मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर बहुत भरोसा किया। उन्होंने इस न्यायालय के दो पहले के फैसलों का भी उल्लेख किया, अर्थात्, अध्यक्ष और एम.डी., एनटीपीसी लिमिटेड बनाम रेशमी कंस्ट्रक्शन, बिल्डर्स और ठेकेदार, (2004) 2 एससीसी 663 और अंबिका कंस्ट्रक्शन बनाम भारत संघ, (2006) 13 एससीसी 475।

17. आईएएफडब्लयू - 2249 को पार्टियों के बीच अनुबंध का एक अभिन्न अंग बनाया गया था और इसकी शर्त 70 में माध्यस्थम के

माध्यम से पार्टियों के बीच विवादों और मतभेदों के समाधान के तरीके का प्रावधान किया गया था, जो विवाद में नहीं है। शर्त 70 (माध्यस्थम खंड) इस प्रकार है:

"70. मध्यस्थता सभी विवाद, अनुबंध के पक्षों के बीच (उन विवादों को छोड़कर जिनके लिए सी.डब्ल्यू.ई. या किसी अन्य व्यक्ति का निर्णय अनुबंध द्वारा अंतिम और बाध्यकारी होने के लिए व्यक्त होता है) अनुबंध के किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे को लिखित नोटिस के बाद, निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक इंजीनियर अधिकारी की एकमात्र माध्यस्थमता के लिए भेजा जाएगा।

जब तक दोनों पक्ष लिखित रूप में सहमत नहीं होते तब तक ऐसा सदर्भ कार्य के पूरा होने या कथित तौर पर पूरा होने या शर्त संख्या 55, 56 और 57 के तहत अनुबंध की समाप्ति या निर्धारण तक नहीं होगा।

बशर्ते कि शर्तों संख्या 52, 53 या 54 के तहत कार्यों को छोड़ने या अनुबंध को रद्द करने की स्थिति में, ऐसा संदर्भ तब तक नहीं होगा जब तक कि सरकार द्वारा किसी के माध्यम से या अन्य ठेकेदार या ठेकेदार या एजेंसी या एजेंसियां के माध्यम से कार्यों

को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है।

बशर्ते कि इसके तहत या अन्यथा किसी भी माध्यस्थमता कार्यवाही की शुरुआत या निरंतरता किसी भी तरह से सरकार के ठेकेदार से वसूली के अधिकार के खिलाफ नहीं होगी जैसा कि शर्त 67 में प्रदान किया गया है।

यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति से इस्तीफा दे देता है या अपना कार्यालय खाली कर देता है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक होता है, तो उसे नियुक्त करने वाला प्राधिकारी उसके स्थान पर कार्य करने के लिए एक नया मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

यह माना जाएगा कि मध्यस्थ ने उस तारीख को संदर्भ में प्रवेश कर लिया है जब वह दोनों पक्षों को नोटिस जारी करता है, जिसमें उन्हें मामले के अपने बयान और बचाव में दलीलें प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

यदि मध्यस्थ के नोटिस के बावजूद कोई भी पक्ष कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहता है, तो मध्यस्थ एकतरफा माध्यस्थमता के साथ आगे बढ़ सकता है।

मध्यस्थ, पक्षों की सहमति से समय-समय पर निर्णय देने और पंचाट पारित करने के लिए संदर्भ में प्रवेश की तारीख से एक वर्ष तक का समय बढ़ा सकता है, लेकिन अधिकतम एक वर्ष तक।

मध्यस्थ को निर्देश में प्रवेश करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या विस्तारित समय के भीतर, जैसा भी मामला हो, सभी मामलों पर जिन्हें उसे निर्दिष्ट किया है अपना निर्णय देना होगा, और दिए गए रकम के साथ विवाद की प्रत्येक व्यक्तिगत वस्तु पर अपने निष्कर्षों को अलग से इंगित करना होगा।

मध्यस्थ का स्थान ऐसा स्थान या स्थान होगा जो मध्यस्थ द्वारा अपने विवेक से तय किया जा सकता है।

मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और अनुबंध के दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

यदि संदर्भित मध्यस्थता में दावों या प्रतिदावों का मूल्य 1 लाख रुपये से अधिक है तो मध्यस्थ को पंचाट के लिए कारण बताना होगा"।

18. हमारे सामने प्रस्तुत विवाद माध्यस्थम करार के अस्तित्व की चिंता नहीं करता है, बल्कि यह इस बात से संबंधित है कि क्या 'नो-क्लेम सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करने और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल के भुगतान की रसीद के बाद, पार्टियों के बीच कोई मध्यस्थता विवाद बच गया है। या अनुबंध का निर्वहन हो गया है। इससे पहले कि हम तथ्यात्मक पहलू पर आएं, कुछ हद तक बोधारा पॉलीफेंब प्राइवेट लिमिटेड इस फैसले पर सावधानी से विचार करना उचित होगा क्योंकि ठेकेदार के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस पर भारी निर्भरता रखी थी।

19. बोधारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड 1 में, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के कई निर्णयों का सर्वेक्षण किया, अर्थात्, द यूनियन ऑफ इंडिया बनाम किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स, एआईआर (1959) एससी 1362, द नैहाटी जूट मिल्स लिमिटेड बनाम ख्यालीराम जगन्नाथ, एआईआर (1968) एससी 522, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाम के.के. कर, (1974) 1 एससीसी 141, मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपुर बनाम मैसर्स अमर नाथ भान प्रकाश, (1982) 1 एससीसी 625, भारत संघ और अन्य बनाम मैसर्स एल.के. आहूजा एंड कंपनी, (1988) 3 एससीसी 76, महाराष्ट्र राज्य बनाम नव भारत बिल्डर्स, 1994 सप्लिमेंट (3) एससीसी 83, मेसर्स पी.के. रमैया एंड कंपनी बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, 1994 सप्लिमेंट (3) एससीसी

126, नैथानी स्टील्स लिमिटेड बनाम एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शन, 1995 सप्लिमेंट (3) एससीसी 324, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम इंडो स्विस सिंथेटिक्स जेम एमएफजी. कंपनी लिमिटेड और अन्य, (1996) 1 एससीसी 54, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बनाम अजमेर सिंह कॉटन एंड जनरल मिल्स एंड अन्य, (1999) 6 एससीसी 400, जयेश इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2000) 10 178, एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य, (2005) 8 एससीसी 618, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम निफा एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड, (2006) 8 एससीसी 156 और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सेहटिया शूज़, (2008) 5 एससीसी 400 मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र के संबंध में 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही में अपने पदनाम के आधार पर, इस न्यायालय ने रिपोर्ट के अनुच्छेद 51 (पृष्ठ 294) में कानूनी स्थिति को निम्नानुसार रेखांकित किया:

> "51. अधिनियम की धारा 11 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले मुख्य न्यायाधीश/उनके द्वारा नामित न्यायाधीश इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वास्तव में निष्पादन द्वारा अनुबंध की सहमति और संतुष्टि या निर्वहन हुआ था। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो वह विवाद को माध्यस्थम के लिए भेजने से

इंकार कर देगा। दूसरी ओर, यदि मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्ण और अंतिम निपटान रसीद या डिस्चार्ज वाउचर किसी धोखाधड़ी/जबरदस्ती/ अनुचित प्रभाव का परिणाम था, तो उन्हें यह मानना होगा कि अनुबंध का कोई निर्वहन नहीं हुआ था और परिणामस्वरूप, विवाद को माध्यस्थम के लिए संदर्भित करें। वैकल्पिक रूप से, जहां मुख्य न्यायाधीश/उनके मनोनीत प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि डिस्चार्ज वाउचर स्वेच्छा से जारी नहीं किया गया था और दावेदार किसी मजबूरी या दबाव के तहत था, और यह मामला विस्तृत विचार के योग्य था, तो वह मुद्दे को स्वयं तय करने के बजाय, माध्यस्थम अधिकरण को एक विशिष्ट निर्देश के साथ संदर्भित कर सकते हैं कि उक्त प्रश्न का निर्णय पहली बार में किया जाना चाहिए।"

20. बोधारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड 1 में बेंच ने पैराग्राफ 42 और 43 (पेज 291) में, उसके सामने उद्धृत मामलों के संदर्भ में, अन्य बातों के साथ, नोट किया कि उद्धृत मामलों की दो श्रेणियां थीं; (एक) जहां न्यायालय ने तथ्यों पर विचार करने के बाद पाया कि यहां एक पूर्ण और अंतिम समझौता हुआ जिसके परिणामस्वरूप सहमति और संतुष्टि हुई, और जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव के आरोपों में कोई तथ्य नहीं था और

परिणामस्वरूप, यह माना गया कि माध्यस्थम के लिए किसी भी विवाद का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है और (दो) जहां अदालत ने दावेदारों के तर्क में कुछ तथ्य पाया कि 'अदेयता प्रमाण पत्र/दावा प्रमाण पत्र या 'पूर्ण और अंतिम निपटान डिस्चार्ज वाउचर' पर जोर दिया गया था और (या तो मुद्रित प्रारूप में या अन्यथा) स्वीकृत देय राशि जारी करना के लिए एक शर्त के रूप में लिया गया था और इस प्रकार एक माध्यस्थम विवाद को जन्म दे रहा है।

21. बोघारा पॉलीफेंब प्राइवेट लिमिटेड 1 में अनुबंध के निर्वहन के परिणामों पर भी विचार किया गया। पैरा 25 (पेज 284) में बताया गया है कि जब कोई अनुबंध पूरी तरह से निष्पादित हो जाता है, तो अनुबंध का निर्वहन संविदा की पालना से होता है और अनुबंध समाप्त हो जाता है और ऐसे निर्वहन अनुबंध के संबंध में कुछ भी नहीं बचता है और वहां कोई विवाद नहीं हो सकता और परिणामस्वरूप, किसी निष्काषित अनुबंध से उत्पन्न किसी भी विवाद को माध्यस्थम के लिये नहीं भेजा जा सकता है। यह माना गया कि यह प्रश्न कि क्या अनुबंध को निष्पादन द्वारा पूरा किया गया है या नहीं, तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है, और यदि उस प्रश्न के संबंध में कोई विवाद है, तो ऐसा प्रश्न माध्यस्थम योग्य है। हालांकि, न्यायालय ने इस प्रस्ताव का एक अपवाद नोट किया। अपवाद यह देखा गया है कि जहां किसी अनुबंध के दोनों पक्ष लिखित रूप में

अनुबंध की पुष्टि करते हैं सभी दायित्वों के निष्पादन द्वारा पूरी तरह से और अंततः निर्वहन किया गया है और कोई बकाया दावा या विवाद नहीं है, अदालतें किसी भी बाद के दावे या विवाद को माध्यस्थम के लिए संदर्भित नहीं करेंगी। इसमें उल्लेखित एक और अपवाद उन मामलों के संबंध में है जहां अनुबंध के पक्षों में से एक पूर्ण और अंतिम डिस्चार्ज वाउचर (या अदेयता प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो) जारी करता है, यह पुष्टि करता है कि उसे पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्त हो गया है, सभी दावों की संतुष्टि हो गई है और उसका कोई दावा बकाया नहीं है। यह देखा गया कि पूर्ण और अंतिम डिस्चार्ज वाउचर या उस प्रकार का अदेयता प्रमाण पत्र जारी करना अनुबंध की पालना या स्वीकृति द्वारा अनुबंध के निर्वहन के बराबर है और डिस्चार्ज वाउचर/प्रमाणपत्र जारी करने वाली पार्टी इसके बाद कोई नया दावा नहीं कर सकती है या किसी भी निपटाए गए दावे को पुनर्जीवित नहीं कर सकती है और न ही यह किसी दावे के संबंध में माध्यस्थम का संदर्भ मांग सकता है।

22. पैराग्राफ 26 (पेज 284-285) में, बोधारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड1 में इस न्यायालय ने माना कि यदि कोई पार्टी जिसने डिस्चार्ज एग्रीमेंट या डिस्चार्ज वाउचर निष्पादित किया है, आरोप लगाता है कि ऐसे दस्तावेज़ का निष्पादन दूसरे पक्ष द्वारा धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव डालने के कारण हुआ था और यदि वह पक्ष इसे स्थापित करता है, तो

ऐसा डिस्चार्ज वाउचर या समझौता शून्य हो जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है और परिणामस्वरूप, ऐसे पक्ष द्वारा उठाया गया कोई भी विवाद माध्यस्थमता योग्य होगा।

23. बोधारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड 1 में पैराग्राफ 24 (पृष्ठ 284) में, इस न्यायालय ने माना कि माध्यस्थमता के दावे को केवल या केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि दावेदार द्वारा समझौता करार या डिस्चार्ज वाउचर निष्पादित किया गया है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के विवाद का निर्णय मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित को 1996 अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही में या माध्यस्थम अधिकरण द्वारा करना होगा।

24. हमारी राय में, पूर्ण प्रकार का कोई नियम नहीं है। ऐसे मामले में जहां दावेदार का तर्क है कि डिस्चार्ज वाउचर या नो क्लेम प्रमाणपत्र धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया है और दूसरा पक्ष इसकी सत्यता का विरोध करता है, मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित को इस पहलू पर गौर करना चाहिए। कम से कम, प्रथम दृष्टया, यह पता चल जाएगा कि विवाद प्रामाणिक और वास्तविक है या नहीं। जहां डिस्चार्ज वाउचर या नो-क्लेम सर्टिफिकेट या सेटलमेंट एग्रीमेंट की वैधता के संबंध में दावेदार द्वारा उठाया गया विवाद, प्रथम दृष्ट्या, विश्वसनीयता की कमी प्रतीत होता है, वहां विवाद को माध्यस्थमता के लिए संदर्भित

करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं हो सकती है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि माध्यस्थम की लागत काफी बड़ी है ज्यादातर समय, यह छह और सात अंकों में चलती है। किसी ऐसे पक्ष पर, जो तर्क देता है कि अनुबंध के निर्वहन के कारण विवाद माध्यस्थम योग्य नहीं है, माध्यस्थम की भारी लागत पर केवल इसलिए बोझ डालना उचित नहीं हो सकता है क्योंकि दावेदार द्वारा धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की दलील दी गई है। धोखाधड़ी, ज़बरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की एक दलील पर्याप्त नहीं है और ऐसी याचिका दायर करने वाले पक्ष को मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित के समक्ष सामग्री रखकर प्रथम दृष्टया इसे स्थापित करना होगा। यदि मुख्य न्यायाधीश/उनके मनोनीत न्यायाधीश को धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव के आरोप में कुछ योग्यता मिलती है, तो वह उस पर निर्णय ले सकते हैं या इसे माध्यस्थम अधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरी ओर, यदि ऐसी दलील बाद में सोची-समझी, काल्पनिक या विश्वसनीयता की कमी वाली पाई जाती हैं, तो मामले को वहीं शांत कर देना चाहिए।

25. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हैं।

26. अंतिम बिल के आधार पर भुगतान प्राप्त करने के समय, ठेकेदार ने निम्नलिखित शर्तों में प्रमाण पत्र निष्पादित किया:

"(ए) मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने अनुबंध संख्या सीईबीटीजेड-14/95-96 की शर्तों के तहत काम किया है, जिसके लिए भुगतान का दावा किया गया है और मेरे हमारे पास सीए क्रमांक सीईबीटीजेड-14/95-96 के तहत कोई और दावा नहीं है।

(बी) केवल दो लाख पंद्रह हजार एक सौ अठहत्तर रुपये प्राप्त हुए। यह भुगतान सीए संख्या सीईबीटीजेड- 14/95-96 के तहत सभी देय धनराशि का पूर्ण और अंतिम निपटान है और सीए संख्या सीईबीटीजेड-14/95-96 के संबंध में मेरा कोई और दावा नहीं है।"

(जोर दिया गया)

27. ठेकेदार ने निम्नलिखित प्रमाणपत्र भी संलग्न किया :

"यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस अनुबंध करार से मुझे देय संपूर्ण भुगतान का दावा करने के लिए यह अंतिम बिल तैयार कर लिया है। अंतिम बिल में मेरे द्वारा समय- समय पर उठाए गए सभी दावे शामिल हैं इस तथ्य के बावजूद कि वे विभाग द्वारा स्वीकृत/स्वीकृत हैं या नहीं। मैं अब स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता हूं कि इस अनुबंध के संबंध मैं मेरे द्वारा इस अंतिम बिल में पहले से शामिल किए गए दावों के अलावा कोई और दावा नहीं है और मेरे द्वारा दावा की गई राशि इस अनुबंध करार के तहत

मेरे सभी दावों की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि होगी। हालाँकि, मुझे इस अंतिम बिल से अस्वीकृत सीमा तक दावा उठाने का अपना अधिकार प्राप्त होगा।"

28. उपरोक्त प्रमाणपत्रों में कोई संदेह नहीं है कि भुगतान प्राप्त होने पर, अनुबंध के तहत ठेकेदार के दावे का पूर्ण और अंतिम निपटान हो गया है। यह विवाद में नहीं है कि अंतिम बिल का भुगतान ठेकेदार को 19 जून 2000 को किया गया था। 19 जून 2000 को भुगतान प्राप्त होने के बाद, ठेकेदार द्वारा तुरंत कोई शिकायत नहीं की गई या दर्ज नहीं की गई। इसके बाद संबंधित प्राधिकारी ने 12 जुलाई, 2000 को 21,00,000/- रुपये की बैंक गारंटी जारी कर दी तभी, उसी दिन, ठेकेदार ने आगे के दावे दायर किए।

29. वर्तमान, हमारी राय में, बोधारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड (पैरा 25, पृष्ठ 284) के मामले में उल्लेखित अपवाद की श्रेणी में आने वाला मामला प्रतीत होता है। जहां तक वित्तीय दबाव या जबरदस्ती का सवाल है, प्रथम दृष्टया इस तरह की कोई बात स्थापित नहीं हुई है। केवल यह आरोप कि नो क्लेम प्रमाणपत्र वित्तीय दबाव और जबरदस्ती के तहत प्राप्त किया गया है, बिना इसके और कुछ सुझाए, किसी मनमाने विवाद का कारण नहीं बनता है।

30. ठेकेदार के आचरण से स्पष्ट है कि उसके द्वारा 'नो-क्लेम सर्टिफिकेट' स्वेच्छा से दिया गया था, ठेकेदार ने स्वेच्छा से राशि स्वीकार कर ली और अनुबंध स्वेच्छा से निर्वहन कर दिया गया।

31. इस प्रकार, हम 1996 अधिनियम की धारा 11(6) के तहत कार्यवाही में मुख्य न्यायाधीश के आदेश को बनाए रखने में असमर्थ हैं। उपरोक्त हमारे निष्कर्ष के मद्देनजर, अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील द्वारा किए गए वैकल्पिक अनुरोध पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश को धारा 11(6) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यस्थता के संदर्भ में मध्यस्थ नियुक्त करना चाहिए था और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री एम.एस. लिब्रहान की नियुक्ति माध्यस्थम करार के अनुरूप नहीं थे।

32. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित 8 दिसंबर, 2006 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है। पार्टियां अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगी।

आर.पी. राघवी गोविल

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राघवी गोविल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।